150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–माध्य/मा–स/विविध दिवस/2018/ 495 दिनांक : 02.02.2021

01. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
02. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
03. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
04. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
05. समस्त पीईईओ।

विषय :– कक्षा 6 से 8 तक नियमित शिक्षण प्रारम्भ करने हेतु।

प्रसंग :– प्रमुख शासन सचिव (गृह) के पत्रांक : प.33(2)गृह–9/2019 जयपुर, दिनांक : 01.02.2021 तथा शासन उप सचिव प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर का पत्रांक : प.32(1)शिक्षा–1/2000 पार्ट–7 दिनांक : 07.01.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशांक : 40–3/2020–डीएम–1(ए), दिनांक : 30 सितम्बर, 2020 के अनुसरण में राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पत्रांक : प.33(2)गृह–9/2019, दिनांक : 30.09.20 के द्वारा कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर के विद्यालयों में कक्षा–9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अभिभावकों की स्वीकृति उपरान्त स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तत्पश्चात् दिनांक : 18.01.2021 से राज्य सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. की पूर्ण पालना करते हुए समस्त राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में नियमित शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति, इस शर्त पर प्रदान की गई थी की विद्यार्थी अपने अभिभावकों से लिखित में स्वीकृति प्राप्त करके ही विद्यालय में प्रवेश करेगा। इसी क्रम में राज्य सरकार के प्रासंगिक पत्र दिनांक : 01.02.2021 द्वारा समस्त राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा छठी से आठवीं तक दिनांक 08.02.2021 से नियमित शिक्षण अनुमति प्रदान की गई है तथा कक्षा 1 से 5 तक कक्षाओं हेतु पूर्व की भांति स्माईल–2 तथा आओ घर में सीखे के तहत शिक्षण कार्य जारी रहेगा। **दिनांक : 08.02.2021 से केवल कन्टेनमेंट जोन के बाहर के कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को कक्षा शिक्षण हेतु विद्यालय में स्वैच्छिक रुप से आने की अनुमति होगी। इन कक्षाओं के लिए विद्यालय समय प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक रहेगा।**

प्रत्येक कक्ष में विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक कक्ष में विद्यार्थी सोशियल डिस्टेंसिग के साथ बैठायें जा सके। यथा संम्भव इन कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों को विद्यालय बुलाया जाये। विद्यालय में मिड–डे मील नहीं बनाया जायेगा, विद्यार्थियों को सुखा राशन वितरण व्यवस्था वर्तमान की भांति आगामी आदेशों तक निरन्तर रहेगी। इन कक्षाओं में नियमित शिक्षण प्रारम्भ करने हेतु पूर्व में जारी एस.ओ.पी. की पालना तो की ही जानी है साथ ही इसकी निरन्तरता में निम्नांकित निर्देशें की पालना भी सुनिश्चित की जावे :–

विद्यालय जिनमें पूर्व से कक्षा 9–12 का शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है :–

- विद्यार्थियों के माता–पिता, अभिभावक से सहमति लेनी आवश्यक होगा।
- कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ दिनांक : 07.02.2021 (रविवार) को PTM आयोजित कर उन्हें विद्यालय में किए जा रहे सुरक्षा प्रबन्धों से अवगत करवाया जाए तथा यह बताया जाए कि यदि विद्यार्थी में जुखाम/बुखार या अन्य बीमारी के लक्षण दिखाई दे तो उन्हें विद्यालय न भेजे एवं समुचित उपचार करवाएं।
- कक्षा–कक्ष, अन्य कक्ष, शौचालय एवं ऐसा परिसर जहां कक्षा 6–8 के विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था की जानी है उन्हें पूर्ण स्वच्छ एवं सेनेटाईज किया जाए। विद्यार्थियों को स्वयं की पानी की बोतल लाने हेतु प्रेरित करें तथा जो विद्यार्थी स्वयं की पानी की बोतल नहीं लाते है उनके लिए स्वस्थ पेयजल की व्यवस्था की जाएं तथा पेयजल के स्थान, प्याऊ इत्यादि की नियमित सफाई हो।
- विद्यार्थियों को यह समझाये कि वे आपसे में वस्तुओं का आदान–प्रदान अथवा एक–दूसरे से स्पर्श न करें।
- आओ घर से सीखे, ई–कक्षा से ऑनलाईन अध्ययन जारी रहेगा। जो विद्यार्थी बीमारी या अन्य कारणों से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाते है वे ऑनलाईन अध्ययन करेंगे तथा उनके लिए अतिरिक्त कक्षा का आयोजन भी किया जावे।

www.rajsevak.com

विद्यालय जिनमें नियमित शिक्षण कार्य पहली बार प्रारम्भ किया जाना है :-

- विद्यालय के प्रवेश द्वार पर कोविड-19 से सुरक्षा हेतु किए गए उपायों हेतु समग्र शिक्षा, जयपुर द्वारा जारी आई.ई.सी. मेटिरियल के पोस्टर लगाए जाए।
- कक्षा-कक्ष, अन्य कक्ष, शौचालय एवं ऐसा परिसर जहां कक्षा 6-8 के विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था की जानी है उन्हें पूर्ण स्वच्छ एवं सेनेटाईज किया जाए तथा जो विद्यार्थी स्वयं की पानी की बोतल नहीं लाते है उनके लिए स्वस्थ पेयजल की व्यवस्था की जाएं
- विद्यार्थियों के माता-पिता, अभिभावक से लिखित सहमति पत्र लेना आवश्यक होगा।
- कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ दिनांक : 07.02.2021 को PTM आयोजित कर उन्हें विद्यालय में किए जा रहे सुरक्षा प्रबन्धों से अवगत करवाया जाए तथा यह बताया जाए कि यदि विद्यार्थी में जुखाम/बुखार या अन्य बीमारी के लक्षण दिखाई दे तो उन्हें विद्यालय न भेजे एवं समुचित उपचार करवाएं।
- विद्यार्थियों को यह समझाये कि वे आपसे में वस्तुओं का आदान-प्रदान अथवा एक-दूसरे से स्पर्श न करें।
- जहां ऑनलाईन क्लासेज चलायी जा रही हैं, और जहां विद्यार्थी भौतिक रुप से उपस्थित होने की बजाय ऑन लाईन कक्षा में उपस्थित होने को प्राथमिकता देते हो तो उन्हें इसके लिए अनुमति प्रदान की जाए।

पीईईओ हेतु निर्देश :-

- समस्त पीईईओ अपने अधिनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को एस.ओ.पी. की प्रति दिनांक : 07.02.2021 को होने वाली पी.टी.एम. से पूर्व उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- इन विद्यालयों में स्वच्छता, सेनेटाईजेशन एवं विद्यार्थियों की थर्मल स्केनिंग इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- समस्त पीईईओ अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले ऐसे विद्यालय जहां कक्षा 6-8 का नियमित शिक्षण प्रारम्भ होना है का पूर्व अवलोकन कर इनमें एस.ओ.पी. की पालना सुनिश्चित करेंगे।
- इन विद्यालयों में दिनांक : 07.02.2021 को होने वाली पी.टी.एम. के सुचारू संचालन की व्यवस्था करेंगे।

उक्त के अतिरिक्त संस्था प्रधान/पीईईओ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा कोविड़-19 के कारण संक्षिप्त किए गए पाठ्यक्रम, नवीन परीक्षा याजना एवं पेपर पैटर्न की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुँच की पुष्टि करे तथा विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध मोडल प्रश्न पत्रों के माध्यम से परीक्षा के प्रश्न पत्रों से विद्यार्थियों को परिचित करावें। विद्यालय संचालन अथवा अन्य किसी प्रकरण में किसी प्रकार की अपरिहार्य स्थिति या शिकायत होने पर टोल फ्री नंबर- 181 पर कॉल किया जा सकता है अथवा संबंधित ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अथवा जिले के जिला कलक्टर/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित किया जा सकता है।

इन कक्षाओं के नियमित संचालन हेतु अन्य शर्ते दिनांक : 07.01.2021 द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार रहेगी।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

01. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा(ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
02. शासन उप सचिव, ग्रह (ग्रुप-9) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
03. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
04. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajsevak.com